भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4068
मंगलवार, 25 मार्च, 2025/04चैत्र, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

'मार्जिन मनी' ऋण योजना के लिए एनसीडीसी द्वारा आवंटन

4068. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र में 'मार्जिन मनी' ऋण योजना के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से प्राप्त 549.54 करोड़ रुपये की आवंटित ऋण राशि पात्र सहकारी चीनी कारखानों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, और इस राशि का निर्धारण करते समय किन कारकों पर विचार किया गया है;

(ख) सहकारी चीनी कारखानों द्वारा इन ऋण निधियों के वितरण और उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, तथा निधियों के संभावित दुरुपयोग की निगरानी और रोकथाम के लिए क्या तंत्र है; और

(ग) इस सहकारी चीनी कारखानों को आपूर्ति करने वाले गन्ना किसानों पर इस 'मार्जिन मनी' ऋण का अपेक्षित प्रभाव क्या है, और क्या इससे उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त होने या उनकी कृषि पद्धतियों के लिए अवसरंचना बेहतर होने की अपेक्षा है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सांविधिक निगम एनसीडीसी ने पात्र सहकारी चीनी मिलों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में मार्जिन मनी ऋण योजना के अंतर्गत ऋण वितरित किया।

ऋण राशि रु. 549.54 करोड़ रुपये की यह राशि महाराष्ट्र सरकार के सहकारिता, विपणन और कपड़ा विभाग के विश्लेषण और सिफारिशों पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र की निम्नलिखित छह सहकारी चीनी मिलों (सीएसएम) की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करना था,

(i) भीमा सहकारी चीनी कारखाना लिमिटेड, टाकली, सोलापुर
(ii) कर्मयोगी शंकररावजी पाटिल एसएसके लिमिटेड, इंदापुर, पुणे
(iii) नीरा भीमा सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, इंदापुर, पुणे
(iv) श्री रामेश्वर सहकारी साखा कारखाना लिमिटेड, रावसाहेबनगर, जालना
(v) शेतकारी सहकारी चीनी कारखाना लिमिटेड किलारी, औसा, लातूर
(vi) श्री शंकर सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, ताल. सदाशिवनगर, सोलापुर

महाराष्ट्र सरकार द्वारा ऋण राशि पर विचार करने के लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार किया गया है:

1) गन्ना बकाया बिल
2) कटाई और परिवहन बिल
3) वेतन और मजदूरी बकाया
4) मशीनरी मरम्मत, रखरखाव और उपभोग्य वस्तुएं
5) व्यापारियों को बकाया अग्रिम एवं अन्य देय राशि।

(ख) चीनी मिल समितियों की निगरानी, कार्य और वित्तीय स्थिति के लिए एनसीडीसी के प्रतिनिधि ऋण की अवधि तक अर्धवार्षिक आधार पर चीनी मिल समितियों का दौरा करते हैं। किसी भी नियम और शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, एनसीडीसी को मंजूरी रद्द करने और ब्याज सहित जारी की गई सहायता की पूरी राशि वसूलने का अधिकार है।

(ग) यह ऋण महाराष्ट्र सरकार को निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु छह सीएसएम को हस्तांतरित करने के लिए वितरित किया गया है,

1) गन्ना बकाया बिल
2) कटाई और परिवहन बिल
3) वेतन और मजदूरी बकाया
4) मशीनरी मरम्मत, रखरखाव और उपभोग्य वस्तुएं
5) व्यापारियों को बकाया अग्रिम एवं अन्य देय राशि।

इस योजना के तहत एनसीडीसी से ऋण प्राप्त करने के बाद, सीएसएम अपने किसान सदस्यों को उनके लंबित गन्ना बिलों और वर्तमान गन्ना बिलों का भुगतान करने में सक्षम हैं और चीनी मिल के संचालन के लिए अपने दैनिक खर्चों को भी पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार, किसानों को समय पर गन्ना भुगतान से पेराई के लिए पर्याप्त गन्ना उपलब्धता सुनिश्चित होगी और इष्टतम क्षमता उपयोग से सीएसएम की उत्पादकता और दक्षता में सुधार होगा।

सीएसएम की बेहतर वित्तीय स्थिति से वे अपने किसान सदस्यों को गन्ने का बेहतर मूल्य देने में सक्षम हो जाएंगे, जिससे किसान सदस्यों को कृषि पद्धतियों के लिए अपने बुनियादी ढांचे में सुधार करने में मदद मिलेगी।

*****